न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)

JO Code No-UP 5743

1–जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–759 / 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–1780 / 2026

(CNR UPLP 0100-4075-2026)

1–दीपक कुमार पुत्र शम्भू दयाल

2–हरीश कुमार पुत्र मोहन लाल

निवासीगण ग्राम हरदासपुर खमरिया, थाना खमरिया, जनपद लखीमपुर–खीरी।

बनाम्

उ0प्र0राज्य

2–जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–801 / 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–1844 / 2026

(CNR UPLP 0100-4181-2026)

अनिल वर्मा आयु लगभग 25 वर्ष पुत्र प्रमोद कुमार वर्मा निवासी ग्राम गुरेला तम्बौर, जनपद सीतापुर।

बनाम्

उ0प्र0राज्य

मुकदमा अपराध संख्या–14 / 2026
धारा–317(2), 318(4) बी0एन0एस0
व धारा 66डी आई0टी0एक्ट
थाना–साइबर क्राइम, जिला खीरी।

08.06.2026

1– उपरोक्त दोनो जमानत प्रार्थना पत्र एक ही अपराध संख्या से संबंधित है, इसलिए दोनो का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

**2–** प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र, प्रार्थी / अभियुक्तगण दीपक कुमार, हरीश कुमार व अनिल वर्मा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–14 / 2026 धारा–317(2), 318(4) बी0एन0एस0 व धारा 66डी आई0टी0एक्ट थाना–साइबर क्राइम, जिला खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

**3–** जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी / अभियुक्तगण द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय मे न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

**4—** संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.05.2026 को पुलिस द्वारा अवधेश कुमार शुक्ला के घर से 12 लोगो को पकड़ा गया, जिनका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम अनिल वर्मा बताया जिसकी जामातलाशी से मु0 61,000/—रू0 जिसमे बारे मे उसने बताया कि वह साइबर ठगी कर प्राप्त किए गए है, 6 अदद मोबाइल फोन, 354 विभिन्न कम्पनियों के सिम कार्ड, 10 ए0टी0एम0 कार्ड, एक आधार कार्ड, एक श्रम कार्ड बरमाद हुआ, दूसरे ने अपना नाम सर्वेश कुमार बताया जिसकी जामातलाशी से 4 अदद मोबाइल फोन, 249 विभिन्न कम्पनियों के सिम कार्ड, एक आधार कार्ड, बरमाद हुआ, तीसने ने अपना नाम राहुल राज बताया जिसकी जामातलाशी से 2 अदद मोबाइल फोन, 185 विभिन्न कम्पनियों के सिम कार्ड बरमाद हुआ, चौथे ने अपना नाम दीपक कुमार बताया जिसकी जामातलाशी से 2 अदद मोबाइल फोन, 107 विभिन्न कम्पनियों के सिम कार्ड बरमाद हुआ, पांचवे ने अपना नाम अमित रंजन बताया जिसकी जामातलाशी से 3 अदद मोबाइल फोन, 209 विभिन्न कम्पनियों के सिम कार्ड बरमाद हुआ, छठे ने अपना नाम संजय कुमार बताया जिसकी जामातलाशी से 3 अदद मोबाइल फोन, 149 विभिन्न कम्पनियों के सिम कार्ड बरमाद हुआ, सातवे ने अपना नाम हरीश कुमार बताया जिसकी जामातलाशी से 2 अदद मोबाइल फोन, एक डी0एल0, एक अदद आधार कार्ड, 167 विभिन्न कम्पनियों के सिम कार्ड बरमाद हुआ, आठवे ने अपना नाम अमर सिंह बताया जिसकी जामातलाशी से 3 अदद मोबाइल फोन, 43 विभिन्न कम्पनियों के सिम कार्ड बरमाद हुआ, नौवे ने अपना नाम शिवम पाण्डेय बताया जिसकी जामातलाशी से दो क्रेडिट कार्ड, 7 विभिन्न कम्पनियों के सिम कार्ड बरमाद हुआ, दसवे ने अपना नाम हरीश कुमार बताया जिसकी जामातलाशी से एक डेविड कार्ड बरमाद हुआ, ग्यारहवे ने अपना नाम कपिल बताया जिसकी जामातलाशी से एक अदद मोबाइल फोन, एक डेविड कार्ड, एक मनी बैक प्लस कार्ड, एक पासबुक, 9 विभिन्न कम्पनियों के सिम कार्ड बरमाद हुआ, बारहवे ने अपना नाम अवधेश बताया जिसकी जामातलाशी से एक मोबाइल फोन, एक क्रेडिट कार्ड व 7 विभिन्न कम्पनियों के सिम कार्ड, 112 आयुष्मान कार्ड, एक फिंगर प्रिंट रिडर डिवाइस बरामद हुआ तथा कमरे की फर्श पर पड़े 180 सिम कार्ड ट्रे, 277 सिम कार्ड लिफाफानुमा, 5 कीपैड मोबाइल, एक नोट बुक तथा अन्य वस्तुए बरमाद हुई, पूछतांछ मे सभी व्यक्तियो ने बताया कि वह कमरा

किराए पर लिए है वह सभी गरीब व भोले भाली जनता को कुछ रूपयो व सरकारी योजना का लालच देकर उनके सिम कार्ड, आधार कार्ड, बैंक एकाउन्ट पासबुक, ए0टी0एम0 कार्ड आदि ले लेते है यदि कोई व्यक्ति आफलाइन एकाउन्ट खुलवाने मे आनाकानी करता है तो उसका अगूॅठा लगवाकर वालेट एकाउन्ट खुलवा देते है तथा उन सभी एकाउन्ट से यूपीआई बना लेते है फिर अनिल के कहे अनुसार सकाउन्ट को बिग विनय एप पर अपलोड कर देते है जिससे कि उस एकाउन्ट के माध्यम से साइबर फ्राड के पैसे का ट्राजेक्शन होता है और उन्हे प्रत्येक एकाउन्ट का कमीशन मिलता है।

**5—** प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है उन्होने कोई अपराध नही किया है उन्हे फर्जी फसाया गया है उनका कथित घटना से कोई वास्ता व सरोकार नही है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नही है वह किसी साइबर ठगी गिरोह के सदस्य नही है। प्रार्थी/अभियुक्तगण कारागार मे निरूद्ध है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्राथमिकी मे किसी विशिष्ट पीड़ित व्यक्ति का नाम उल्लिखित नही है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/अभियुक्तगण जमानत देने को तैयार है तथा जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगे। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

**6—** विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा भोली भाली जनता को पैसो का अथवा सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लालच देकर उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ए0टी0एम0 कार्ड व अन्य प्रपत्र प्राप्त कर उनके नाम से खाता खुलवाकर साइबर ठगी की जाती है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**7—** जमानत प्रार्थना—पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

**8—** पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण के पास से मोबाइल फोन, विभिन्न कम्पनियों के अधिसंख्य सिम

कार्ड, ए0टी0एम0 कार्ड व अन्य तकनीकी उपकरण बरामद हुए है, जिनका उपयोग उनके द्वारा साइबर ठगी मे किया जाता है। मामले की विवेचना अभी प्रचलित है, यदि इस स्तर पर अभियुक्तगण को जमानत प्रदान की जाती है तो उनके द्वारा साक्ष्य से छेडछाड़ किए जाने से इंकार नही किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मौके पर ही पकड़ा गया है। पत्रावली पर प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व मे निरस्त की जा चुकी है।

**9—** अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना—पत्र निरस्त होने योग्य है।

## आदेश

प्रार्थी/अभियुक्तगण दीपक कुमार, हरीश कुमार व अनिल वर्मा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। जमानत आदेश की प्रति प्रार्थी/अभियुक्तगण के अधिवक्ता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। मूल जामनत आदेश जमानत प्रार्थना पत्र सं0—759/2026 पर उसकी प्रति जमानत प्रार्थना पत्र सं0—801/2026 पर रखी जावे।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
08.06.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.10 15:21:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court